



2026:AHC-LKO:3942-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - ए संख्या - 9470 सन 2025

एस.आई. (सिविल पुलिस) संदीप बलियान

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं
3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : दीपक सिंह, मनीष कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शिखर आनंद

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण, इंदिरा भवन, लखनऊ द्वारा दिनांक 03.07.2025 को याचिका संख्या 642/2023 में पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की निंदा के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका, जो उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ रैंक के अधिकारियों (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के तहत एक मामूली दंड है, खारिज कर दी गई है।
3. पिछली तारीख, अर्थात् 25.08.2025 को, हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

“1. सुनवाई हुई।

2. याचिकाकर्ता के इस कथन पर विचार करते हुए कि पुलिस चौकी का प्रभारी होने के नाते, धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत संबंधित व्यक्ति को जमानत पर रिहा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करना उसका पूर्ण अधिकार था, क्योंकि उस पर जमानती अपराध का आरोप था और उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था, और आरोपी जमानत का हकदार भी था, हम आक्षेपित निर्णय और निंदा आदेश पर रोक लगाते हैं।

3. इस मामले में चार सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दाखिल किया जाए।

4. यदि कोई प्रत्युत्तर शपथ-पत्र हो, तो उसे इसके दो सप्ताह बाद दाखिल किया जाए।

5. इसके बाद सुनवाई सूचीबद्ध की जाए।”

4. इसके जवाब में, राज्य द्वारा एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया है जिसमें सजा के आदेश में कही गई बातों को दोहराया गया है। इसमें कहा गया है कि चूंकि आरोपी नासिर और रईस को बिना वारंट के गिरफ्तार किया गया था, इसलिए धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत देने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है। उपरोक्त दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध चाकू रखने के मामले में मुकदमा संख्या 13/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम और मुकदमा संख्या 41/2022 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन से जमानत देना अनुचित था। रईस एक हिस्ट्रीशीटर था और उसे पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी। इस मामले को पर्यवेक्षक अधिकारी श्री अजेंद्र यादव, सर्किल अधिकारी, सदर सहारनपुर के संज्ञान में नहीं लाया गया, इसलिए अधिकारी ने अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन नहीं किया।

5. धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है:-

“436 - किन मामलों में जमानत ली जाएगी - (1) जब अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है या न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है और जब वह ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में है उस बीच किसी समय, या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम में, जमानत देने के लिए तैयार तब ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा।

परन्तु यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है की यदि ऐस व्यक्ति निर्धन हो और प्रतिभू भरने में असमर्थ हो तो वह ऐसे व्यक्ति से जमानत लेने के बजाय उसके इनमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए प्रतिभूओं रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर उसे उन्मोचित कर सकता है। [अधिनियम 25 / 2005, धारा 35(ए) द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 23-6-2006 से प्रभावी)]।

[स्पष्टीकरण: - जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के दिन से एक सप्ताह तक जमानत देने में असमर्थ हो तो अधिकारी या न्यायालय के लिए यह मान लेने के लिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर्याप्त आधार होगा की इस प्रतिबंध के उद्देश्यों के लिए वह व्यक्ति निर्धन है।] [अधिनियम 25 / 2005, धारा 35(बी) द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 23-6-2006 से प्रभावी)]

इसके अलावा, इस धारा में कुछ भी धारा 116 [या धारा 446-ए] की उपधारा (3) के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा [अधिनियम 63 / 1980, धारा 4 द्वारा जोड़ा गया (दिनांक 23-9-1980 से प्रभावी)]।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, हाजिरी के समय और स्थान के बारे में जमानतपत्र की शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय उसे, जब वह उसी मामले में किसी पश्चात्कर्ती अवसर पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या अभिरक्षा में लाया जाता है, जमानत पर छोड़ने से इंकार कर सकता है और ऐसी किसी इंकारी का, ऐसे जमानतपत्र से आबद्ध किसी व्यक्ति से धारा 446 के अधीन उसकी शास्ति देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य संशोधन

उत्तर प्रदेश.- उक्त संहिता की धारा 436 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक में "मुक्ति" शब्द के स्थान पर "रिहाई" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा। [उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 / 1984, धारा 10, दिनांक 1.5.1984 से प्रभावी]

6. यह साबित करने के लिए कहे जाने पर कि धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत किसी ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति को रिहा न करने की कानूनी रोक कहाँ है, जो धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानती अपराध है, यदि वह हिस्ट्रीशीटर है, तो हमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिखाया जा सका और न ही राज्य द्वारा दायर शपथ-पत्र में ऐसा कोई प्रावधान उल्लिखित है। हमें धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसी कोई शर्त नहीं मिली। हमने राज्य के विद्वान अधिवक्ता से यह भी पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के लिए धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले उपरोक्त संदर्भित पर्यवेक्षक अधिकारी को सूचित करना कानूनी रूप से आवश्यक था, हमें ऐसा कोई परिपत्र आदि नहीं दिखाया जा सका जिसमें ऐसे अधिकारियों को उच्च अधिकारी को सूचित करने की सलाह दी गई हो। राज्य अधिकारियों के शपथ-पत्र के साथ ऐसा कोई परिपत्र संलग्न नहीं किया गया है। न्यायाधिकरण के निर्णय में भी इसका उल्लेख नहीं है। प्रति- शपथ-पत्र में उल्लिखित बातें धारा 436 दंड प्रक्रिया संहिता में निहित स्पष्ट प्रावधानों के विपरीत हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण ने आक्षेपित निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। तदनुसार, हम आक्षेपित निर्णय के साथ-साथ दिनांक 04.10.2022 के दंड आदेश और दिनांक 16.01.2023 के अपीलीय आदेश को रद्द करते हैं।
8. तदनुसार, हम इस रिट याचिका और दावा याचिका को अनुमति देते हैं।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 19, 2026

शान्/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।